

khan global studies

MPPSC MAINS -INDIAN POLITY UNIT – 03

Shubham tripathi



Padhai
likhai
Karo!!!



समुदाय आधारित संगठन (Community Based Organizations)

लिण्डमैन के अनुसार - समुदाय आधारित संगठन, ऐसा संगठन है, जो किसी समुदाय के मामलों को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करने और अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से उच्चतम सेवाओं को प्राप्त कराने का एक सतत् प्रयत्न करता है।

मैकमिलन के अनुसार - समुदाय आधारित संगठन समूहों, उद्देश्य एवं कार्यवाही को सफल बनाने के लिए निर्देश देता है। समुदाय आधारित संगठन ऐसे गैर-लाभकारी संगठन होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने हेतु कार्य करते हैं। इनका गठन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के स्थानीय लोगों द्वारा समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह मुख्यरूप से समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण व नवीनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व पुनर्भरण की दिशा में कार्यरत् हैं। इनका मुख्य लक्ष्य समाज के विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों में समानता स्थापित करना है। ऐसे संगठन निरन्तर सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बेहतर लोकतांत्रिक साधन है। सामान्यतः यह संगठन सहकारिता के आधार पर संचालित होते हैं।

भारत सरकार ने भी इन संगठनों की रचनात्मक व क्रियात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। इन संगठनों की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2002 में योजना आयोग को सरकारी संगठन व स्वयं सेवी संगठन के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। इन संगठनों से सरकार को भी कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे यह स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधाएं, सूचनाएं एवं उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने हेतु सरकार की सहायता करती है। इनके द्वारा संग्रहित सूचना व डाटा सरकार के सूचना प्रबंधन हेतु उपयोगी होती है। ये लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

समुदाय आधारित संगठन एक प्रकार के दबाव समूह होते हैं, जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के समुदाय के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह आपस में मिलकर समाज कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रयास करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं- महिला समूह, मजदूर संघ, कृषक संघ।

सामुदायिक आधारित संगठन के उद्देश्य

- 1) लोकतांत्रिक भावना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना।
- 2) नागरिक समझ, समर्थन, सहयोग और भागीदारी को प्रभावी बनाना।
- 3) उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना।

सामुदायिक आधारित संगठन के कार्य

- 1) स्थानीय जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- 2) सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों की पहुंच जनता तक सुनिश्चित करना।
- 3) प्रभावी नीति निर्माण हेतु सरकार पर दबाव बनाना एवं सरकार को नीतियों को प्रभावित करना।
- 4) स्थानीय सरकार के साथ नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- 5) स्थानीय मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उनमें सधार हेतु सलाह देना।

सामुदायिक आधारित संगठन के महत्व

- 1) ग्राम विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य रहे हैं गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता मिटाना, स्वास्थ्य में सुधार और ग्रामीण जनसमुदाय के जीवनस्तर में बढ़ोत्तरी।
- 2) ग्राम विकास कार्यक्रम केवल मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों द्वारा ही परिकल्पित और अभिकल्पित किए जाते थे। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया गया और राज्य की उच्च संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम तैयार किए गए।

सामुदायिक आधारित संगठन की आवश्यकता

समुदाय आधारित संगठन की प्रक्रिया जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में बहुत उपयोगी है, इसलिए संगठन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं -

- 1) समाज कल्याण संस्थाओं की लगातार वृद्धि।
- 2) वर्तमान में समुदाय के उच्चतर सेवाओं और उनके कुशल प्रशासन की महत्त्वी आवश्यकता।
- 3) समुदाय में एकता एवं सहयोग की कमी आना।
- 4) समुदाय के कार्यों के कुशल संचालन के लिए विशेष ज्ञान एवं अनुभव की महत्त्वी आवश्यकता।

सामुदायिक आधारित संगठन के सिद्धान्त

- 1) समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष के कारण संगठन का समुचित विकास न होना।
- 2) संगठन द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को सम्मिलित करना।
- 3) समुदाय में एवं सदाचार का प्रयोग करना।
- 4) संगठन के नियमित रूप से निर्णय करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- 5) संगठन के प्रभावी नेतृत्व के लिए सही प्रयास करना।
- 6) संगठन की शक्ति, उसकी स्थिरता एवं सम्मान का विकास।

सामुदायिक आधारित संगठन के समक्ष चुनौतियां संगठन के समुचित विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियां हैं -

- 1) स्थानीय स्तर पर अमीर-गरीब एवं जातीय विषमता एक बड़ी समस्या है।
- 2) ग्रामीण स्तर पर निरक्षरता संगठन के विकास में एक बड़ी बाधा है।
- 3) संगठनों के प्रभावी विकास के लिए सरकारों की कोई व्यवस्थित नीति का अभाव है।
- 4) स्थानीय स्तर पर वित्त सम्बन्धी समस्या।

गैर सरकारी संगठन (Non-governmental Organization)

ऐसी संस्था, जो सरकारी हस्तक्षेप के बिना समाज के जनहित से जुड़े कार्य, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय आदि समाज में परस्पर सहमति से किए जा सके, गैर-लाभकारी स्वयं सेवी संस्था या गैर-सरकारी संगठन कहलाती है। भारत में इन्हें मुख्यतः ट्रस्ट सोसाइटी और नॉन प्राफिट कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराया जाता है। यह संस्था लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करती है।

विकास एक बहुउद्देशीय और एक व्यापक विचार है। विकास के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नैतिक और पर्यावरणीय कारक होते हैं। इस संदर्भ में विकास सामाजिक संतुष्टि, राजनीतिक सहभागिता और आर्थिक विकास का सूचक है। इस प्रकार विकास सम्पूर्ण उन्नति की प्रक्रिया है। विकास की यह प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है। इसमें के सभी अंग भाग लेते हैं। इन्हीं अंगों में से एक अंग है नागरिक समाज। इस नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण भाग गैर-सरकारी संगठन है।

गैर-सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है, जो सरकार से स्वतंत्र होकर सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संचालित करता है। ऐसे संगठन सरकारी अधिनियमों के द्वारा अधिनियमित होते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि निःस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए अपना योगदान देना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 27 फरवरी, 1950 में प्रस्ताव को अंगीकार किया गया, जिसमें पारिभाषित किया गया कि गैर-सरकारी संगठन का अर्थ है कोई ऐसा संगठन, जो सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो सरकार से स्वतंत्र हो। गैर-सरकारी संगठन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा एकसाथ कार्य करने हेतु संगठित किया गया एक समूह होता है। इसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन, समाज कल्याण समूह, जनसमूह आदि सभी आते हैं। इस संगठन में अवैतनिक गैर-वैतनिक दोनों प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। ये संगठन शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से जनता के विकास हेतु कार्यरत रहते हैं।

अपने इसी उद्देश्य के कारण आज ये गैर-सरकारी संगठन, प्रशासन एवं जनता के मध्य विकास की एक सजीव कड़ी बन गए हैं। गैर-सरकारी संगठन वास्तव में विकास प्रशासन में सहभागी प्रशासन को यथार्थ रूप देने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना है।

अधिनियमों या नीतियों के
लिए जनमत तैयार करके।

शोध एवं अनुसंधान के
आधार पर नवीन नीति
सुझाना।

NGO की
विशेषताएं

प्रदर्शन, रैली, धरनों के माध्यम
से सरकार पर दबाव डालना।

न्यायालय में जनहित
याचिकाएं दाखिल करना।

संसदीय या विभागीय समितियों के
समक्ष नागरिक समाज का पक्ष
रखना।



नीति क्रियान्वयन के चरण में 'NGO' निम्नलिखित प्रकार से अपनी सहभागिता पूर्ण करते हैं -

- 1) सुविधाओं से वंचित वर्ग को प्रशासन तक या प्रशासन को उस तक पहुंचाना।
- 2) सरकार की नीतियों के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाना।
- 3) योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना।
- 4) आकस्मिक विपत्ति के समय प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाना।

नीति मूल्यांकन एवं निगरानी के समय यह (NGO) निम्नलिखित प्रकार से प्रशासन में अपनी सहभागिता को निभाता है -

- 1) क्रियान्वयन में उत्पन्न दोषों का पता लगाकर इसे प्रकाश में लाना।
- 2) जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों से प्रशासन को अवगत कराना।
- 3) सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर नियंत्रण निगरानी रखना।
- 4) क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एवं सूचनाओं का स्वयं संकलन करना, ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका विकास के संबंध में जनजागरूकता के प्रचार एवं प्रसार में भी महत्वपूर्ण है। जनसभाओं, गोष्ठियों, नुककड़ नाटकों आदि के माध्यम से यह जनता को जागरूक बनाते हैं, ताकि वह अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सके।

NGO की भूमिका को विकास के क्षेत्र में

- 1) निर्धनों एवं अशक्तजनों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित एवं गतिशील करते हैं।
- 2) वे जनता को सरकारी प्रयास विकास संबंधी योजनाओं एवं रणनीतियों में अवगत करते हैं।
- 3) ये प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की सहभागिता को सुलभ बनाते हैं।
- 4) वे प्रशासनिक तंत्र को जनता की आवश्यकताओं एवं आकाश्वाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं।
- 5) प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करते हैं।
- 6) प्रशासन को जस्तरतमंद लोगों तक पहुंचाता है।
- 7) जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करता है, ताकि वह स्वयं अपने विकास की मांग रख सके।

इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए गठित कई समस्याओं एवं बाधाओं से ग्रसित है, जैसे -

- 1) वित्तीय एवं कुशल मानव संसाधन का अभाव।
- 2) नौकरशाही का असहयोगात्मक रूप।
- 3) उन पर्याप्त सूचना आधार।
- 4) इनके स्वयं के दृष्टिकोण में सम्पूर्णता का अभाव है। ये केवल एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं।
- 5) राजनीतिक हस्तक्षेप एवं दबाव।
- 6) समाज में व्याप्त क्षेत्रवाद, जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा आदि के कारण नागरिक इसके प्रति जागरूक नहीं हैं।
- 7) ये स्वयं भी भ्रष्टाचार से युक्त नहीं हैं।

गैर-सरकारी संगठनों का विकास के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा इन्हें और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाए। इनके समक्ष उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करके इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि सहभागी लोकतंत्र व समावेशी विकास की संकल्पना को साकार किया जा सके।

- भारत में NGO का महत्वभारत जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए आम जनता की देखभाल करना व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं है। अतः देश की सभी गतिविधियों के सफल संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता आवश्यक है। **भारतमें NGO के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता हैं –**

1) यह शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों को संचालित करते हैं।

2) निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार सम्बन्धी कार्य करते हैं।

3) आम जनमानस की जीवनशैली में लगातार सुधार करते हैं।

4) बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, आपदा, महामारी आदि क्षेत्रों में NGO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समुदाय आधारित संगठन एवं गैर-सरकारी संगठन में अन्तर

समुदाय आधारित संगठन

यह मानदेय या पारिश्रमिक की आशा नहीं करता है।

यह इच्छानुरूप कार्यों का चुनाव करता है, किन्तु कार्य का प्रारंभ, अवधि व समापन के संबंध में स्व-नियंत्रण होता है।

इसको निश्चित संविधान, पंजीयन, कार्यपद्धति व पदाधिकारी की अनिवार्यतः नहीं होती है।

इसका नियमित कार्यालय एवं कार्यविधि नहीं होती है।

दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखने की अनिवार्यतः नहीं होती है।

गैर-सरकारी संगठन

यह मानदेय या पारिश्रमिक पर कार्य करता है।

यह भी इच्छानुरूप कार्यों का चुनाव करता है, किन्तु कार्य का प्रारंभ, अवधि व समापन संबंधी नियंत्रण वित्त प्रदाता संस्था का होता है।


इसको निश्चित संविधान, पंजीयन, कार्यपद्धति व पदाधिकारी की अनिवार्यतः होती हैं।

इसका नियमित कार्यालय एवं कार्यविधि होती है।

दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखने की अनिवार्यतः होती है।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups)

- स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति वाले निर्धन लोगों का समूह है, जो अपने सदस्यों के मध्य समान समस्याओं को आपसी सहायता से सुलझाते हैं। इन समूहों का गठन सामान्यतः गैर-सरकारी संगठनों अथवा सहकारी निकायों के रूप में किया जाता है। ये अनौपचारिक समूह होते हैं।
- इनका निर्माण 15-20 लोग आपस में मिलकर करते हैं, किन्तु पर्वतीय या मरुस्थलीय या कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या 5 भी हो सकती है।
- भारत में स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई, जब 1972 में सेल्फ एमलाई वुमेन्स एसोसिएशन (SEVA) का गठन हुआ, जिसने निर्धनता उन्मूलन, महिला रोजगार व महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- आगे चलकर सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत् इन समूहों का गठन व निर्माण किया गया। उदाहरणार्थ स्वर्ण जयंती ग्राम स्व- रोजगार योजना, 1999 आदि।



निर्धारक तत्व

- 1) एक जैसे सामाजिक-आर्थिक स्तर के व्यक्तियों का समूह होने से उनकी रुचियों में मतभेद कम होगा।
- 2) इन समूहों में जाति, धर्म, लिंग आदि आधार पर विभेद नहीं किया जाता है।
- 3) इन समूहों का आकार 15 से 20 व्यक्तियों का होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात रख सकता है।
- 4) इन समूहों में व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नियमित उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे समूह की गतिविधियों में पारदर्शिता बनी रहेगी।
- 5) यह बचत को गतिशील बनाकर पूँजी निर्माण में सहायक है।

मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं (Issues and Role of Media)

मीडिया शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द Medium से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम, अर्थात् जिन माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं सम्प्रेषण किया जाता है, उन्हें हम मीडिया के अन्तर्गत रखते हैं।

लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिये मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया एक समग्र तंत्र है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं।

मीडिया ने जहां जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है, वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्द्धा, दुर्भावना एवं राजनीतिक कुचक्र के जाल में फँसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है।

व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिए यलो जर्नलिज्म को अपनाना, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण करना, चटपटी खबरों को तवज्जों देना और खबरों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप प्रदान करना, भय या लालच में सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करना, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा और महिमामण्डन करना और किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनेक अनुचित कार्य आजकल मीडिया द्वारा किए जा रहे हैं। दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से सम्बन्धित खबरों को नजरअंदाज करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है।

भारतीय संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान में प्रेस एवं भीड़िया की स्वतंत्रता को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु इसे अनुच्छेद 19 (1) (a). वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत ही रखा गया है। वस्तुतः भाषण की स्वतंत्रता एवं विचारों की अभिव्यक्ति किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार होती है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम सीमित अर्थों में: स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता के अन्तर्गत विचारों के प्रचारों की भी स्वतंत्रता आती है।

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, चित्रों, मुद्रणों या किसी भी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यवत करना भी सम्मिलित है, जिसमें वह दूसरों तक उन्हें सम्प्रेषित कर सके। दूसरे शब्दों में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार तक सीमित नहीं है, इसमें दूसरे के विचारों एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, जो प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के अन्तर्गत हो आता है। □ मीडिया पर युक्तियुक्त निर्बंधन [अनुच्छेद - 19(2)]

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है अनुच्छेद 19 (1) (a) द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19 (2) द्वारा अंकुश लगाए गए हैं। किसी भी समय समाज में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती है। इस स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक है

- भारतीय संविधान द्वारा भाषण की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त रोक लगायी गई हैं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं –
 - 1) कोई भी नागरिक इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है, जिससे भारत की प्रभुता एवं अखण्डता प्रभावित हो। यदि कोई नागरिक इस प्रकार का भाषण करता है, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
 - 2) कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है, जिसके कारण भारत की विभिन्न मित्र देशों से मित्रता समाप्त हो जाए।
 - 3) इस प्रकार के भाषण पर रोक लगाई जा सकती है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है। राज्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले वह भाषण भी प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, जो अपराधों को करने की प्रेरणा देते हैं।
 - 4) भाषण देने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अशिष्ट एवं अनैतिक भाषण दे तथा लोक शालीनता को त्यागदे।
 - 5) कोई व्यक्ति इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकता है, जिससे न्यायालयों का अवमान (Contempt of Court) हो।

मीडिया के कार्य

- 1) **सूचना देना (To Inform)** सूचना देना मीडिया का पहला महत्वपूर्ण कार्य है। सूचना ही शक्ति है। सूचना के इस बढ़ते प्रभाव की वजह से ही आज के विकसित समाज को सूचना समाज कहा जाने लगा है। आज वास्तव में ज्ञानी वह है, जिसके पास बहुत सूचनायें हैं।
- 2) **शिक्षा देना (To Educate)** शिक्षा देना मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यहां शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा हो नहीं है, बल्कि ज्ञान **Communication** के समस्त रूप शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। शिक्षा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा मीडिया द्वारा **Communicate** होने वाला प्रत्येक संदेश, चाहे वह सूचना के रूप में हो या मनोरंजन के लिए, उसमें शिक्षा का तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य होता है।
- 3) **मनोरंजन प्रदान करना (To Entertain)** मीडिया का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य मनोरंजन प्रदान करना है। प्रत्येक संचार माध्यम की अपनी संरचना होती है, जिसके द्वारा मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

मीडिया के प्रकार

आधुनिक संदर्भ में माध्यमों के अनुप्रयोग के आधार पर मीडिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है -

* **प्रिंट मीडिया** मुद्रण तकनीक पर आधारित सूचनाओं का सम्प्रेषण ही प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत आता है।

माध्यम मुद्रण तकनीक (लिपि आधारित), उदाहरण समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, पम्पलेट आदि।

* **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जो जनसंचार होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इस संचार माध्यम में तीव्र प्रवाह एवं तीव्र नियंत्रण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें साइबरनेटिक्स माध्यम की संज्ञा भी दी जाती है। माध्यम संचार तकनीक (दृश्य एवं श्रव्य माध्यम के रूप में), उदाहरण टी. वी., रेडियो, फिल्म, वीडियो, स्लाइडें, कम्प्यूटर

सोशल मीडिया यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए पारस्परिक प्लेटफार्म बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में 'भी देखा जा सकता है। माध्यम इंटरनेट पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान (समय एवं स्थान की बाध्यता से परे Without Time & Space Limitation), उदाहरणार्थ इंटरनेट फोरम, वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लागिंग, वाट्सअप, फेसबुक आदि।

निवारक उपाय

- 1) संविधान एवं कानूनों के अनुरूप व्यवहार ।
- 2) नियामक संस्थाओं की मजबूती ।
- 3) स्वयं नियामक की भूमिका ।
- 4) मूल्यपरक पत्रकारिता का विकास ।
- 5) जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन ।
- 6) जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद

महत्वपूर्ण टिप्पणियां

□ प्रसार भारती निगम

प्रसार भारती, देश का लोक सेवा प्रसारक है, जिसके 2 घटक आकाशवाणी और दूरदर्शन है। 23 नवम्बर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सिरकार हैं। प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को सूचित, शिक्षित और उनका मनोरंजन करना है। प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in है।

उद्देश्य- प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत प्रसार भारती निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- 1) देश की एकता, अखण्डता और देश के संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को बनाए रखना।
- 2) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- 3) लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना।

- 4) शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- 5) महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- 6) विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना।
- 7) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों एवं अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- 8) प्रसारण तकनीक का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारतीय बोर्ड

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), 6 अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में होते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) एवं सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। प्रसार भारती बोर्ड की बैठक समय-समय पर होती है, जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श होता है तथा कार्यकारी को नीतिगत दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं।

दूरदर्शन - दूरदर्शन (अंग्रेजी - Doordarshan) भारत का सरकारी दूरदर्शन प्रसारण (चैनल) है। यह भारत सरकार द्वारा नामित परिषद् प्रसार भारती - के अन्तर्गत चलाया जाता है। दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत भारत में दिल्ली से 15 सितम्बर, 1959 को शैक्षिक एवं विकास पर आधारित कार्यक्रमों के साथ प्रायोगिक तौर पर हुई। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई थी। 1972 में सेवा मुम्बई (तत्कालीन बंबई) व अमृतसर तक विस्तारित की गई। 1975 तक यह सुविधा 7 शहरों में शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय प्रसारण 1982, जिस वर्ष रंगीन दूरदर्शन का जनता से परिचय हुआ था, शुरू हुआ था

आकाशवाणी - ऑल इंडिया रेडियो भारत की सरकारी रेडियो सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से जाने लगा।

प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद् का गठन प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1966 में किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा भारत में प्रेस के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए यह परिषद् बहुआयामी भूमिका निभाती है। जहां एक ओर यह दीवानी न्यायालय के अधिकारों के साथ अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण की तरह कार्य करती है, दूसरी तरफ सलाहकार की भूमिका में यह प्रेस की स्वतंत्रता और उसके संरक्षण के लिए प्रेस और साथ ही साथ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं।

समाचार समितियां

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बिना मुनाफे वाली सहकारी संस्था है, जो देश के अखबारों द्वारा संचालित की जाती है और अपने सभी ग्राहकों को संतुलित और निष्पक्ष खबरें देती है। पीटीआई की स्थापना अगस्त, 1947 में हुई, लेकिन इसने काम करना 1 फरवरी, 1949 से शुरू किया। भाषा पीटीआई की हिन्दी समाचार सेवा है।

- यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) - यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 19 दिसम्बर, 1956 में हुआ, किन्तु इसने 21 मार्च, 1961 से काम करना प्रारंभ किया। यूएनआई ने 1982 में पूर्ण रूप से हिन्दी सेवा 'यूनीवार्टा' की शुरुआत की।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publicity - DAVP)

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए बहु-माध्यम विज्ञापन तथा प्रचार का कार्यभार उठाने वाली एकमात्र नोडल एजेंसी है। कुछ स्वायत्त संस्थाएं भी अपने विज्ञापन DAVP के माध्यम से देती हैं। सर्विस एजेंसी के रूप में, यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से जमीनी स्तर पर सम्प्रेषण करने का प्रयास करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

- 1) केन्द्र सरकार के लिए बहु-माध्यम विज्ञापन एजेंसी का कार्य करना।
- 2) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं, जैसे मीडिया इनपुट का उत्पादन तथा संदेश/सूचना - के प्रचार को पूरा करने के लिए सर्विस एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- 3) केन्द्र सरकार के विभागों को सम्प्रेषण कार्यनीति / मीडिया प्लान तैयार करने में सहायता करना तथा इन्हें मल्टी-मीडिया समर्थन प्रदान करके जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सहायता करना।

सम्प्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले माध्यम

1) विज्ञापन

2) प्रदर्शनियां

- प्रेस विज्ञापनों को जारी करना।

- प्रदर्शनियां लगाना।

3) बाह्य प्रचार होर्डिंग, क्योस्क, बस पैनल, भित्ति चित्र, सिनेमा स्लाइड, बैनर आदि को प्रदर्शित करना।

4) मुद्रित प्रचार बुकलेट, फोल्डर, पोस्टर, लीफलेट, कैलेंडर, डायरी आदि।

5) श्रव्य दृश्य प्रचार स्पॉट्स/क्वीकीस, जिंगल्स, प्रायोजित कार्यक्रम, लघु फिल्में आदि।

6) प्रचार सामग्री का प्रेषण प्रचार सामग्री का वितरण।

माध्यम - मध्य प्रदेश माध्यम 1983 में स्थापित किया गया था और तब से मल्टी मीडिया के संचार के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। माध्यम एक मंच है, जिस पर मध्य प्रदेश और इसके विभिन्न विभागों और एजेंसियों तथा सरकार की संचार जरूरतों को व्यावसायिकता और रचनात्मकता की स्वतंत्रता के साथ उच्च मानकता स्थापित करते हुए पूरा किया जा रहा है। रोजगार और निर्माण का प्रकाशन माध्यम के द्वारा ही किया जाता है।

पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism)- सामान्य रूप से पीत पत्रकारिता शब्द उस पत्रकारिता के लिए प्रयोग में आता है, जिसमें विशेष रूप से सनसनीखेज, उत्तेजक, अपुष्ट, अल्पपुष्ट, अश्लील, चटपटे समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। पीत पत्रकारिता का प्रारंभ 1833 में हुआ, जब जोसेफ पुलित्जर ने न्यूयार्क वर्ल्ड को खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद उसका न्यूयार्क वर्ल्ड के स्वामी हर्स्ट के साथ वाद-विवाद हो गया। उक्त विवाद के कारण अमेरिका में सनसनीखेज तथा उत्तेजनात्मक पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। इसे पत्रकारिता के इतहास में पीत पत्रकारिता कहकर संबोधित किया जाता है। उस दिनों पुलित्जर और हर्स्ट अपने-अपने समाचार पत्रों में व्यंग्य-चित्र पट्टी पीली स्याही में छापा करते थे। कदाचित् इस स्याही को ध्यान में रखकर ही सनसनीखेज पत्रकारिता का नाम पीली पत्रकारिता पड़ा।

लोकतंत्र (Democracy)

डेमोक्रेटिक (Democratic) शब्द यूनानी भाषा के डेमोस (Demos) और कृतियां (Cratia) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है - 'लोग' और 'शासन', शाब्दिक अर्थ में 'जनता का शासन'। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन है", अर्थात् लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और सरकार बना सकती है। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता सरकार को निर्णय लेने, कानूनों का निर्माण करने और उन्हें लागू करने का अधिकार प्रदान करती है।

सामान्य शब्दों में- ऐसे सरकार जहां की जनता शक्तिशाली हो।

अब्राहम लिंकन- जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है।

सिले- जिसमें जनता की सहभागिता हो, उसे लोकतंत्र कहा जाता है।

लोकतंत्र के उद्देश्य

1) राज्य की संस्थाएं, संरचना और राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

2) व्यक्तियों की अर्थपूर्ण भागीदारी।

3) कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिकों के अधिकारी आदि की गारंटी उपलब्ध कराना।

4) नीति निर्माण संस्थाओं में जनमानस की भागीदारी बढ़ाना।

व्यस्क मताधिकार व
विभिन्न राजनीतिक
दलों तथा दबाव समूह
की उपस्थिति

निष्पक्ष न्यायपालिका
तथा विधि का शासन।

जनता की इच्छा
सर्वोच्च।

लोकतंत्र की विशेषताएं

निष्पक्ष तथा समयबद्ध
चुनाव।

उत्तरदायी सरकार। समिति
तथा संवैधानिक सरकार।

बहुमत द्वारा निर्णय। जनता के अधिकार
तथा स्वतंत्रता का संरक्षण सरकार का
कर्तव्य

जनता के द्वारा चुने गए
प्रतिनिधि सरकार।

लोकतंत्र का महत्व

1) लोकतंत्र की पूर्णता के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों के विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।

2) मनुष्य के सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ ऐसे समाज से है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश एवं सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सुदृढ़ बनाने के लिए समान अवसर एवं अधिकार बिना भेदभाव के प्राप्त हो तथा सभी में पारस्परिक सहयोग की भावना निहित हो।

3) आर्थिक क्षेत्र के लोकतंत्र का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवकोपार्जन या व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसर प्राप्त हो।

4) लोकतंत्र की सर्वमान्य अवधारणा है कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाएं, वो सभी शांतिपूर्ण एवं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किए जाएं।

5) लोकतंत्र समानता, सहभागिता एवं बन्धुत्व की भावना पर आधारित एक शासन व्यवस्था है।

लोकतंत्र के लाभ

- 1) जनहित लोकतंत्र का उद्देश्य आम जनता का कल्याण है। लोकतंत्र शासन को जनता के कल्याण, विकास व सुविधा का प्रतीक (Democracy is a Symbol of Public Welfare, Development and Convenience.) माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, देशों के माध्यम से सर्वसाधारण का अधिक-से-अधिक जनहित करने का प्रयास किया जाता है।
- 2) राजनीतिक प्रशिक्षण लोकतंत्र, सर्वसाधारण को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देता है। लोकतंत्र में संचार के साधनों, प्रेस, दूरदर्शन आदि का प्रयोग व्यापक तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनेता, बनाब समूह और 'संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार इन पर नीतियां बनाते हुए समस्त राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध करवाती है। इसमें समानता स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं।
- 3) चाहिए राष्ट्र प्रेम, देश-भक्ति, त्याग, बलिदान, सेवा और सहनशीलता आदि गुणों का विकास नागरिकों को राष्ट्र से जोड़े रखने का प्रयास करता है। लोकतंत्र उच्च गुणों का विकास करने का प्रयास करता है। नैतिकता लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकती है।

लोकतंत्र के दोष

1) राजनीति का राजनीतिकरण लोकतंत्र में राजनेता, जिन आदर्शों, मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति में आता है। वह शासन व्यवस्था में आने के बाद राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। एक बार शासन व्यवस्था में आने के बाद शासन व्यवस्था से अलग नहीं होना चाहता है। वह जीवनपर्यन्त लोकतंत्र से जुड़े रहना चाहता है। जनता के आदर्शों, मूल्यों के लिए दिखावे का व्यवहार करता है, जबकि सार्वजनिक जीवन में वह कुछ करना चाहता है। लोकतंत्र में सार्वजनिक राजनीति के स्थान पर व्यक्तिकरण की राजनीति बढ़ती चली जाती है। यही इसके दोषों को उत्पन्न करती चली जाती है।

1) व्यावहारिक सामाजिक समानता का अभाव जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, उनमें अधिकांश रूप से यह देखने को मिलता है कि व्यावहारिक रूप से सामाजिक समानता कायम नहीं रहती है। ऊँच-नीच, गरीबी-अमीरी, वर्ग-संघर्ष, (High-Low, Poverty-Rich, Class-Struggle) तरीके और आर्थिक असमानताओं के कारण सामाजिक समानता कभी स्थापित नहीं होती है।

3) अयोग्य व्यक्तियों का शासन अरस्तू ने लोकतंत्र को अयोग्य शासन माना गया था। लोकतंत्र में जो व्यक्ति, नेता, राजनीतिक शामिल होते हैं ये अयोग्य इसलिए माने जाते हैं कि उन्हें राजनीति का सधन प्रशिक्षण (Intensive Training in Politics) प्राप्त नहीं होता है। लोकतंत्र में धन, शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रवेश करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ पाई जाती है।

4) संकटकालीन स्थिति संकटकालीन स्थिति का तत्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र अधिक सफल नहीं रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में तात्कालिक निर्णय लेने में काफी समय नष्ट हो जाता है।

भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष

- 1) सशक्त विपक्ष का अभाव भारतीय लोकतंत्र में लम्बे समय तक सशक्त विपक्ष का अभाव रहा है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है।
- 2) भ्रष्टाचार - विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका सहित सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
- 3) हिंसात्मक आन्दोलन भारत में स्वतंत्रता की आड़ में वर्ग/समाज सम्बन्धी हिंसात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
- 4) आपराधिक प्रवृत्ति अधिकांश राजनेता संसद से लेकर पंचायत तक गंभीर मामलों में संलिप्त हैं।
- 5) गठबंधन - 1989 के बाद से भारत में गठबंधन की राजनीति की निरन्तर शुरुआत हुई।

- 6) वलबबल की समस्या निर्वाचित सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, जिससे चुनाव खर्च का अनावश्यक बोझ पड़ता है।
- 7) जातिवाद - भारतीय परिस्थितियों में मतदाता अपनी जाति के अनुसार प्रत्याशी का चयन करता है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- 8) गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या।
- 9) निरक्षरता
- 10) सामाजिक कुरितियां

भारतीय लोकतंत्र के सबल पक्ष

- 1) संसद यह भारतीय राजनीति का स्रोत है। लोकतंत्र के निर्माण में संसद की निर्णायक भूमिका रहती है। इसके अन्तर्गत मंत्रियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से त्यागपत्र देने हेतु बाध्य किया गया है।
- 2) धर्म-निरपेक्षता भारतीय संविधान जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रतिबंधित करता है।
- 3) पंचायती राज - पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अन्तर्गत स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा सरलता से किया जा रहा है।
- 4) न्यायपालिका - न्यायालय ने वर्तमान समय में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया है।
- 5) महिला सशक्तिकरण महिलाओं के संरक्षण के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायत एवं नगरीय स्व-शासन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

लोकतंत्र की सफलता के लिए सुझाव

- 1) शिक्षा एवं जागरूकता लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है,
- 2) शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आन्तरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय आम जनमानस में नहीं हो।
- 3) आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। साथ ही राज्य में गरीबी एवं अमीर के बीच अत्यन्त अन्तर नहीं होना चाहिए।
- 4) सामाजिक न्याय व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न हो तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो।
- 5) मीडिया लोकतंत्र की सफलता हेतु लोकमत/जनमत स्वतंत्रता भी आवश्यक है, अर्थात् प्रेस, साहित्य, रेडियो, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। संविधान को भाषा स्पष्ट एवं लोकतांत्रिक पद्धति एवं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए।
- 7) नागरिक स्वतंत्रताएं नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, संघ बनाने, सभा करने, शांति पूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव

- 1) डिजिटल लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्य तभी विकसित हो सकते हैं, जब लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इस तरह सोशल मीडिया स्वतंत्रता के इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है।
 - 2) जवाबदेही तय करना सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, लोगों के एक-एक वोट द्वारा परिवर्तन ला सकता है।
 - 3) लोगों की आवाज को मजबूत करना सोशल मीडिया में लोगों तक सूचना पहुंचाने की शक्ति है। ट्र्यूनीशिया जैसे देशों में सोशल मीडिया ने अरब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे मुक्ति पाने के लिए एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
 - 4) लोग प्लेटफार्मों पर समाचारों पर चर्चा एवं समकालीन मुद्दों पर बहस करते हैं।
- इस तरह लोग अपने तरह के लोगों से जुड़ते हैं एवं उनमें एक समुदाय की भावना मजबूत होती है।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव

- 1) ईको चेम्बर (Echo Chamber) बनता है, जहां लोग केवल उन दृष्टिकोणों से चीजों एवं घटनाओं को देखते हैं, जिनसे वे सहमत होते हैं और जिनसे असहमत होते हैं, उन्हें सिरे से खारिज कर देते हैं। चूंकि अभूतपूर्व संख्या में लोग अपनी राजनीतिक ऊर्जा इस माध्यम से प्रसारित करते हैं। इसके उपयोग से ऐसे सामाजिक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी।
- 2) प्रोपेंडा फैलाना गूगल टांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने पिछले दो सालों में ज्यादातर चुनावी विज्ञापनों पर करीब 80 करोड़ डॉलर (5.900 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं। इसके जरिये नफरत एवं साम्प्रदायिकता से भरे भाषणों को आसानी से फैलाया जा सकता है।
- 3) विदेशी हस्तक्षेप ऐसा माना जाता है कि 2016 के अमेरिकी के चुनाव के दौरान रूसी संस्थाओं ने सोशल मीडिया को सूचना के हथियार के रूप में उपयोग किया एवं सार्वजनिक रूप से लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक पर नकली पेज बनकर प्रचार किया। इस तरह सोशल मीडिया को राष्ट्र, राज्य एवं समाज को विभाजित करने के इरादे से साइबर युद्ध के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- 4) फेक न्यूज सोशल मीडिया लोगों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देता है। कभी-कभी जिसका इस्तेमाल किसी के द्वारा अफवाह फैलाने और गलत सूचना फैलाने के लिए भी किया जा सकता है।
- 5) असमान भागीदारी सोशल मीडिया नीति निर्माताओं की जनमत के बारे में धारणा को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीवन के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हर कोई इस प्लेटफॉर्म का समान रूप से उपयोग नहीं कर रहा है।



**Abey Padhai Likhai Karo
IAS-YAS Bano**

राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representations)

राजनीतिक प्रतिनिधि एक निर्वाचित सदस्य होता है, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह समाज में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा प्रत्यक्षता भाग लेने का विधिक अधिकारी है। वर्तमान में जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर विधि निर्माण के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 1946 में संविधान सभा का निर्माण भी प्रतिनिधिक व्यवस्था के तहत ही हुआ। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद भारत व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधित्व शासन का संचालन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय देश है। आज भारत के संविधान में मताधिकार की आयु 18 वर्ष और जनता अपना शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चला रही है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व

- 1) राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
- 2) राजनीतिक प्रतिनिधित्व से राजनीतिक संस्कृति का विकास तथा रक्षा होती है।
- 3) इसके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को पोषण और प्रेरणा मिलती है।
- 4) लोकतंत्र की सफलता में उपयोगी है।
- 5) राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- 6) राजनीतिक चेतना का विकास।
- 7) मतदान से जनता का राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनने का पर्याप्त अवसर।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रकार

- 1) क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है।
- 2) व्यवसायिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसमें प्रतिनिधि का आधार व्यापारिक संगठन होता है, जैसे व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापारी प्रतिनिधि, मजदूर प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि आदि।
- 3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते समय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही अपनाई जाती है। इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत पद्धति नाम से भी जाना जाता है।

निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय
सहभागिता निम्नलिखित प्रकार से
सुनिश्चित की जाती है –

- 1) निर्वाचन द्वारा योग्य प्रतिनिधि को निर्वाचित करा।
- 2) सरकार के कार्यों में भागीदारी लेकर या समीक्षा करके।
- 3) आन्दोलन, जुलूस आदि के माध्यम से सरकार के समाज विरोधी निर्णयों को जनता के सामने लाना।
- 4) अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनहित के मुद्दों और सरकार के कार्यों पर चर्चा करके
- 5) सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सरकारी नीतियों, व्यय आदि की जानकारी प्राप्त करके।
- 6) सरकार द्वारा भी नागरिकों की निर्णयों में सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्य किए जाते हैं, जैसे नीतियों पर जनता के सुझाव मांगना।

गूंज एनजीओ

- 1) आपदा राहत, वंचित वर्गों की सेवा के लिए अंशु गुप्ता द्वारा दिल्ली में 1999 में स्थापित।
- 2) पुरस्कार 2015 में रेमन मैग्ससे, 2012 में सोशल इंटरप्रोनर ऑफ इंडिया (WEF द्वारा)।

>>मीडिया इथिक्स क्या है

- 1) मीडिया में नैतिक मूल्यों का समावेश ही मीडिया इथिक्स है।
- 2) आवश्यकता क्यों पेड न्यूज व पीत पत्रकारिता पर नियंत्रण करके निष्पक्ष रूप से मुद्दों का विश्लेषण हेतु।

>>मीडिया के प्रकार लिखिए

- 1) प्रिंट मीडिया (मुद्रण तकनीक पर आधारित सूचनाओं का संप्रेषण)।
- 2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
- 3) सोशल मीडिया।

>>अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है

- 1) जनता का शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन करना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है।
- 2) उदाहरण - भारत, ब्रिटेन आदि।

>>गैर-सरकारी संगठन

1) ऐसी संस्था जो सरकारी हस्तक्षेप के बिना समाज के जनहित से जुड़े कार्यों को समाज के परस्पर सहमति व सहयोग से करे।

>>स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य लिखिए

1) निर्धनों का जीवनस्तर उच्च बनाना।

2) निर्धनों को छोटी बचतों से लाभ कमाने हेतु प्रेरित करना।

3) महिलाओं को वित्त प्रबंधन व सामूहिक निर्णयों में भागीदार बनाना।

4) स्व-रोजगार को बढ़ाकर समावेशी व सतत् विकास करना।

5) ग्रामीण निर्धनों की क्रण जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक क्रण नीतियां बनाना।

समुदाय आधारित संगठन की परिभाषा लिखिए

1) लिण्डमैन के अनुसार, "यह एक ऐसा संगठन है, जो किसी समुदाय के मामलों को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करने और अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से उच्चतम सेवाओं को प्राप्त कराने का एक सतत् प्रयत्न करता है।"

>>मीडिया के कार्य लिखिए

- 1) सूचना देना।
- 2) शिक्षा देना।
- 3) मनोरंजन प्रदान करना।
- 4) वाद-विवाद हेतु मंच प्रदान करना।

>>स्वयं सहायता समूह

- 1) यह एक समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति वाले निर्धन लोगों का समूह है, जो अपने सदस्यों के मध्य समान समस्याओं का आपसी सहायता व सहमति से सुलझाते हैं।
- 2) इनमें सामान्यतः 15 से 20 लोग होते हैं।
- 3) उदाहरण सेवा (Self Employee Woman's Association)

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रकार लिखिए

- 1) क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व ।
- 2) व्यवसायिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व ।
- 3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।
- 4) अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व

>>समुदाय आधारित संगठन के उद्देश्य लिखिए

- 1) लोकतांत्रिक भावना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना।
- 2) नागरिक समझ, सहयोग व भागीदारी को प्रभावी बनाना।
- 3) उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना।

गैर-सरकारी संगठन -

- 1) मानदेय या पारिश्रमिक पर कार्य करता है।
- 2) निश्चित संविधान, कार्य-पद्धति व पदाधिकारियों का होना अनिवार्य है।
- 3) दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।

>>राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व लिखिए

- 1) यह राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अनिवार्य है।
- 2) लोकतंत्र की सफलता में उपयोगी है।
- 3) इससे राजनीतिक संस्कृति का विकास व रक्षा होती है।
- 4) राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक होता है।

>>समुदाय आधारित संगठन के कार्य लिखिए

- 1) स्थानीय जीवनस्तर को ऊंचा उठाने हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- 2) सरकार की सामाजिक, आर्थिक नीतियों की पहुंच जनता तक सुनिश्चित करना।
- 3) स्थानीय सरकार के साथ नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- 4) स्थानीय मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।

>>समुदाय आधारित संगठन व गैर-सरकारी संगठन में अंतर लिखिए

समुदाय आधारित संगठन

- 1) मानदेय या पारिश्रमिक पर कार्य नहीं करता है।
- 2) निश्चित संविधान, कार्य-पद्धति व पदाधिकारियों का होना अनिवार्य नहीं है।
- 3) दस्तावेजों का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य नहीं है।

>>लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए

- 1) वयस्क मताधिकार का होना।
- 2) उत्तरदायी सरकार को स्थापित करना।
- 3) बहुमत द्वारा निर्णय लेना।
- 4) निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव का होना।
- 5) राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह की उपस्थिति होना।

>>लोकतंत्र की सफलता हेतु किन्हीं तीन सुझावों को लिखिए

- 1) शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देकरा।
- 2) मीडिया की सक्रिय भूमिका द्वारा।
- 3) आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करके।
- 4) सशक्त विपक्ष की प्रभावी भूमिका के द्वारा।

लोकतंत्र के महत्व लिखिए

- 1) व्यक्तियों के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना।
- 2) पारस्परिक सहयोग की भावना को जाग्रत करता है।
- 3) आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाता है।

>>गैर-सरकारी संगठन (NGO) की विशेषताएं लिखिए

- 1) यह अधिनियमों व नीतियों के लिए जनमत तैयार करता है।
- 2) सुविधाओं से वंचित वर्ग को प्रशासन तक तथा प्रशासन को उस तक पहुंचाता है।
- 3) सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है।
- 4) न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर करता है।

बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया।
धरा तक नहीं ये गगन मांगती है।
नहीं मिली किसी को राह चलते।
सफलता परिश्रम लगन मांगती है।

